

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-बबेरु-अर्तारा-नैरनी-करतल मार्ग (एस.एच.-71)के किमी. संख्या 23 (चैनेज - 22.038 से 22.098) दांयी पटरी ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 28क में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.276 हे० के स्थान पर 276 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अमौली रेंज के अन्तर्गत लहुरी सराय-चिल्ली मार्ग के किमी० 1.5 से 3.00 के मध्य में दांयी पटरी में वन भूमि का चयन किया गया है। जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। वन भूमि सभी व्यवधानों एवं अतिक्रमण से मुक्त है।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर